

३८५

जे. एस. मिश्र,  
सचिव,  
उत्तार प्रदेश शासन।

संख्या ४

- आवास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्  
लखनऊ।
  - उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

## आवास एवं शाहरी नियोजन अनुभाग-१

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿਨਾਂਕ 21 ਮਈ, 2005

**विषय:** प्रदेश के नगरीय हेत्र में निजी पैंजी निवेश को माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए नुस्खा अर्जन एवं विकास की नीति।

नाहोदाय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लीढ़ गति से हो रहे नगरीकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों में आवास एवं अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक ध्यान बढ़ रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कुल 16 लाख आवासीय इकाइयों अर्थात् प्रति वर्ष 3.2 लाख आवासीय इकाईयों की मौँग का आंकलन है। शान्तकार्य अभियानों की सीमित क्षमता एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव के दृष्टिगत उक्त सज्जन हेतु निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

2. प्रदेश की शहरी आवास नीति में सरकार की भूमिकां 'निर्माता' के स्थान पर 'सुविधाप्रदायक' के रूप में निर्धारित की गई है तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे विकास एवं निर्माण कार्यों ने आ रही कठिनाइयों व बाधाओं के निराकरण एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर बल दिया गया है। अतः शहरी आवास नीति के अनुरूप आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता 'नुनिरिघत' करने एवं निजी पूँजी नियेश को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 'नुविधानूलक' एवं 'अनुकूल' यातावरण का सृजन किया जाना आवश्यक है, ताकि सनाज के सभी दर्गा को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार एक स्वस्थ पर्यावरण में आवासीय नुविधा सुलभ करायी जा सके।

3. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित तप, ते-आवासीय घोजनाओं के विकास में निजी पैमाजी निवेश आकर्षित/प्रोत्साहित करने हेतु शासन-द्वारा निम्न नीति निर्धारित की जाती है:-

3.1 निजी केंद्रों के विकासकर्ताओं की वित्तीय क्षमता, लोकनीयी योग्यता एवं अनुभव के अधार पर तीन श्रेणियों- 'क', 'ख' एवं 'ग' में पंजीकरण आदात बन्धु/विकास प्राधिकरण/आदात एवं विकास परिषद् अध्यात् शास्त्र द्वारा नामित अनिकरण में किया

जायेगा। श्रेणी 'क' में पंजीकरण की अईता यिगत तीन दर्घों में विकासकर्ता का रिपल एस्टेट सेक्टर' में न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रु. 25 करोड़, श्रेणी 'ख' हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रु. 15 करोड़ तथा श्रेणी 'ग' हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ की अईता होगी।

3.2 पंजीकृत विकास कर्ताओं को आवासीय योजनाओं हेतु विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परियद अथवा शासन द्वारा नामित अभिकरण, जिसे आगे 'शासकीय अभिकरण' कहा गया है, द्वारा निम्न प्रणालियों के माध्यम से भूमि उपलब्धता (लैण्ड असेम्बली) एवं विकास में सुविधा प्रदान की जाएगी:-

#### अ- बल्क मूमि आवंटन प्रणाली

- (1) शासकीय अभिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं यथासम्बन्ध करार नियमावली, 1997 के अधीन भूस्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जित की जाएगी।
- (2) शासकीय अभिकरण द्वारा भूमि की एकीकृत विकास योजना/ले-आउट प्लान तैयार किया जाएगा जिसके अन्तर्गत 25 एकड़ से 100 एकड़ तक के "माड्यूल्स" बनाए जाएंगे।
- (3) भूमि का आरक्षित मूल्य कुल अर्जन यद्य ने 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया जाएगा।
- (4) विभिन्न माड्यूल्स के लिए भूमि के आरक्षित मूल्य पर पंजीकृत विकासकर्ताओं से फाइनेंशियल बिल्ड अर्नेस्ट मनी के साथ सील्ड कवर में अनन्त्रित की जाएगी एवं उच्चतम बिल्ड के आधार पर चयनित विकासकर्ताओं को माड्यूल्स (बल्क मूमि) का आवंटन "एग्रीमेन्ट-टु-डेवलप लीज" के आधार पर किया जाएगा।
- (5) शासकीय अभिकरण एवं पंजीकृत विकासकर्ता के मध्य विकास हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट-टु-डेवलप-ऑन लीज) पर विकासकर्ता द्वारा 1.0 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- (6) शासकीय अभिकरण द्वारा अपनी योजनाओं हेतु अर्जित, परन्तु वर्तमान में उपलब्ध भूमि में से भी पंजीकृत विकासकर्ताओं को अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि इस नीति के अधीन निर्धारित उपरोक्त प्रक्रियानुसार आवंटित की जाएगी।
- (7) विकासकर्ता द्वारा भूमि का नियोजन एवं योजना का क्रियान्वयन नगर विशेष की महायोजना गाइडलाइन्स तथा प्रचलित "डिटिङ चाई-लाज" के अनुसार किया जाएगा।
- (8) विकासकर्ता द्वारा योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) शासकीय अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें योजना का ले-आउट प्लान, लैण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज की गितिशिल्दियाँ एवं प्लान, 5 दर्घों में यूज़ प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज की गितिशिल्दियाँ एवं प्लान, 5 दर्घों में योजना का क्रियान्वयन पूर्ण करने हेतु समय-सारिणी, वित्त पोषण, व्यवस्था, जनन्यता उन्नति एवं रख-रखाव, इत्यादि से सन्वन्धित विवरण शामिल होंगे।

(9) शासकीय अभिकरण द्वारा डी.पी.आर. पर 30 दिन के अन्दर अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा।

(10) शासकीय अभिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य उक्त विन्दु-(6) के अनुसार निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्ध के अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयने डी.पी.आर. के अनुरूप एवं उसमें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा आन्तरिक विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से सम्बन्धित इसी आवश्यकता पैतृ एवं प्रतिशोध शामिल किए जाएंगे।

(11) योजनान्तर्गत ताहुय विकास कार्य शासकीय अभिकरण द्वारा निष्पादित कराए जाएंगे जिसके लिए विकासकर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को विभिन्न रूपों हेतु निर्धारित दरों पर वाहु विकास शुल्क देय होगा।

(12) योजनान्तर्गत अन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा किये जाएंगे।

(13) विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत भवन/भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल भाग तर्फ पूर्व 10 प्रतिशत भवन/भूखण्ड अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित लागत पर एवं मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्मित कर विक्रय किये जायेंगे।

“दम गतात् तिकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत 20 प्रतिशत भवन/भूखण्ड वास्तविक रूप से आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।”

(14) भू-अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित भू-स्वामियों/किसानों के पुनर्वास हेतु विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को (आवेदन करने वाली दशा में) प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति/शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(15) योजना हेतु अर्जित भूमि के अन्तर्गत स्थित आबादी को समायोजित करते हुए विकासकर्ता द्वारा उनके लिए आपैरेक्ट कानूनीयाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(16) योजनान्तर्गत भागों के अनुसार उल्लिखित भौमिकाएँ, ग्राम व्यवस्था, कूड़ा घर, सीटेज और भौमिकाएँ इत्यादि के लिए विकासकर्ता द्वारा नियन्त्रित भूमि उपलब्ध करायी जायेंगी; जिनके लिए विकासकर्ता द्वारा नियन्त्रित भूमि उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित जानुदायिक सुविधाओं यथा गोस्ट ऑफिस, ट्रैकीफोन इक्सचेंज, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूलस्थिर केन्द्र, आदि के लिए शासन द्वारा जम्मू-जम्मू पर निर्धारित नीति के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगा।

(17) योजनान्तर्गत भूमि विकास एवं सम्पत्तियों के विक्रय का दायित्व विकासकर्ता का होगा। लावंटियों के पक्ष में हरतान्तरण विलेख शासकीय अभिकरण द्वारा निष्पादित किए जाएंगे; जिस हेतु आवंटी द्वारा शासन को नियानुसार “स्टाम्प शुल्क” एवं शासकीय अभिकरण को “फ्री-होल्ड” शुल्क देय होगा।

(18) योजना व्या 25 प्रतिशत भूमि एवं जम्मू पर निर्नित सम्पत्तियों के विक्रय का अधिकार शासकीय अभिकरण द्वारा उपने प्राप्त रोक कर रखा जाएगा; जिसके

—अर्जन अधिकारी कार्यों की ददि लोई देयता बनती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके; विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप विकास कार्य जैसे—जैसे पूर्ण किए जाएंगे एवं शासकीय अधिकारण की देयता का भुगतान किया जाएगा, उसी अनुपात में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अधिकार पुनः विकासकर्ता को उपलब्ध होता जाएगा।

- (19) विकसित योजना की सेपांओं का स्थानीय नियमण को टक्कानालेण होने तक उनका रख-रखाव दिक्षात्यर्था-द्वारा पिंडा-जारना, जिरदे-रिंग विकासपत्ता को आविटियों से द्वयोधित रख-रखाव व्यय लेने का अधिकार होगा।

— लाईसेन्स आवारित विकल्प जानकारी प्रणाली

- (1) शासकीय अभिकरण द्वारा पंजीकृत विकासकर्ता को 'लाईसेन्स' के आधार पर न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षय एवं विकास करने की अनुदान निर्धारित लाईसेन्स शुल्क लेकर प्रदान की जायेगी। लाईसेन्स शुल्क लिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश आपांत् एवं विकास परिषद अधिनियम, 1985 तथा अन्य रांगत अधिनियमों में अध्यरखक प्राविधिकान किये जाएंगे।

(2) विकासकर्ता द्वारा भूमि युटाव हेतु प्रत्येक स्थल के लिए पृथक लाईसेन्स प्राप्त किया जाएगा जो दो दर्वा के लिए वैध होगा एवं जिसका नवीनीकरण निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक और दर्वा के लिए किया जा सकेगा।

(3) विकासकर्ता को लाईसेन्स अनुदान प्रदान करने के साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994 की शासा-4 अध्या उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 / उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1985 की समांगत प्राविधिका के अधीन राज्यपिता अभिकरणों द्वारा भू-अर्जन हेतु अधिकृत बोका जाए। प्रा. ४०८... (१...) किंवा विकासकर्ता दाता प्रतिकर के रूप अधिकृत बोका जाए। प्रा. ४०९... (१...) किंवा विकासकर्ता दाता प्रतिकर के रूप अधिकृत बोका जाए। अभिकरण के पास जना किया जाएगा।

(4) राज्यरचात् विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत भूमि क्षय कर लिए जाने पर तो जना हेतु आवश्यक शेष भूमि का अर्जन शासकीय अभिकरण द्वारा भूमि अधिकृत बोका जाएगा। इस तौर पर अधिकृत अर्जन व्यष्ट एवं अधिकृत जमानुपातिक प्रशासनिक अधिकृत व्यष्ट द्वासाकोप अभिकरण वो किया जातेगा। जकत् अर्जन व्यष्ट हो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं भविष्य में भू-अर्जन की दर में किसी न्यायालय द्वारा वृद्धि किये जाने अध्या अर्जन सम्बन्धी किसी विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी देयता का दागित विकासकर्ता का होगा।

(5) पंजीकृत विकासकर्ताओं के साथ किये जाने वाले एग्रीमेंट में यह शर्त स्वयं रूप से उल्लिखित की जाएगी कि उनके द्वारा भू-धारकों ते सीधे भूमि क्षय करते समय संबंधित भू-धारकों के हितों का संरक्षण तुनिश्चित किया जाय।

(6) इस प्रणाली के अधीन आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत विकासकर्ता द्वारा कर एवं निबन्धन विभाग की अधिकृत भूमि के लिए

5-2716 / 11-2003-500 (67) / 2001 बिनांक 23 मई, 2003 परे प्रत्यक्षर (1)  
के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

- (7) योजनान्तर्गत ग्राम समाज अथवा नगर निकाय के प्रबन्धन में निहित भूमि का नियमानुसार पुनर्ग्रहण करके लदविषयक नियमों/शासनादेशों के अधीन सम्बन्धित विकासकर्ता को आवंटित एवं हस्तान्तरित की जाएगी। उपर भूमि का स्टाम्प शुल्क जहित समस्त स्थान पिण्डाराकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
- (8) विकासकर्ता द्वारा भूमि का नियोजन एवं योजना पर क्रियान्वयन नगर विशेष की महायोजना गाइडलाईन्स तथा प्रचलित "बिलिंग बाई-लाज" के अनुसार किया जाएगा।
- (9) विकासकर्ता द्वारा योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) शासकीय अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाएगी; जिसके अन्तर्गत ले-आउट प्लान, लैण्ड यूज प्लान, इफास्ट्रक्चर एवं रार्किरोज की विशिष्टियाँ एवं प्लान, 05 वर्षों में योजना का क्रियान्वयन पूर्ण करने हेतु समय-सारिणी, वित्त योजना लातम्भा, सम्पत्ति प्रबन्धन एवं रख-रखाद, इत्यादि से सम्बन्धित विवरण शामिल होंगे।
- (10) शासकीय अभिकरण द्वारा डी.पी.आर. पर 30 दिन के अन्दर अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा।
- (11) योजना का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुरूप एवं उसमें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा आन्तरिक एवं वाहय विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शासकीय अभिकरण द्वारा विकासकर्ता के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
- (12) योजना के आन्तरिक एवं वाहय विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा स्वयं क्रियान्वत कराये जायेंगे; जिसकी सामर्त्य नगर, नियामनार्थी द्वारा वहन की जाएगी।
- यदि योजना में कतिपय द्रुक सेवाओं जैसे रोड, कनेक्शन, जल-निकासी, जलापूर्ति, इनेज, सीवरेज आदि हेतु 'कनेक्टिविटी' प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए विकासकर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देय हो।।। इसके अतिरिक्त नगर स्तरीय विशिष्ट अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भी विकासकर्ता द्वारा शासकीय अभिकरण को निर्धारित दर पर विकास शुल्क देय होगा।
- (13) विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत भवन/भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग एवं 10 प्रतिशत भवन/भूखण्ड अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अभिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित लागत पर एवं मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्मित कर विक्रय किये जायेंगे।

इस प्रकार विकासकर्ता द्वारा प्रदत्त 20 प्रतिशत भवन/भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों की विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

- (14) योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस स्टेशन, फ़ायर स्टेशन तथा विद्युत सब-स्टेशन प्रस्तावित किये जायेंगे, जिनके लिए विकासकर्ता द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित रागुदायिक सुविधाओं यथा— पोस्ट आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र आदि के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आवंटन एवं मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (15) भू-आर्जन के कलस्वरूप विस्थापित भू-स्वामियों/किसानों के पुनर्वास हेतु विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को (आवेदन करने वाली दशा में) प्रदेश नारकार ती पुनर्वास नीति/शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- (16) योजना हेतु अर्जित भूमि के अन्तर्गत स्थित आवादी को समायोजित करते हुए विकासकर्ता द्वारा उनके लिए आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (17) योजना की 25 प्रतिशत भूमि एवं उस पर निर्मित सम्पत्तियों के विक्रय का अधिकार शासकीय अभिकरण द्वारा अपने पास रोक कर रखा जाएगा जिससे भू-आर्जन अथवा विकास कार्यों की यदि कोई देयता बनती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप विकास कार्य जैसे—हौरो पूर्ण किए जाएंगे एवं शासकीय अभिकरण की देयता का भुगतान पिया जाएगा, उसी अनुपात में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अधिकार पुनर्विकासकर्ता को उपलब्ध होता जाएगा।
- (18) विकसित योजना की सेवाओं का स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण होने तक उनका रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए विकासकर्ता को आवंटियों से यथोचित रख-रखाव व्यय लेने का अधिकार होगा।
4. उपर्युक्त दोनों प्रणालियों के अधीन आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वाह्य विकास शुल्क के साथ-साथ वाह्य विकास की विभिन्न मदों हेतु युक्तिसंगत वर्ते का विश्लेषण कर सन्निहित वास्तविक व्यय के आधार पर वाह्य विकास शुल्क की गणना हेतु शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जाएंगे।
5. विकासकर्ता को विद्युत-आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत कनेक्शन एवं आवश्यक विद्युत भार प्राथमिकता के आचार पर एवं समयबद्ध रूप से स्वीकृत किये जायेंगे तथा विकासकर्ता को विद्युतीकरण सञ्चालन कार्यों का स्वयं क्रियान्वित किए जाने ती अनुमति निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर जाएंगे।
6. निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं के पंजीकरण पर सावधान में दिशा-निदेश एवं प्रक्रिया तथा योजना क्रियान्वयन हेतु शासकीय अभिकरण एवं विकासकर्ता के सभ्य निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्ध का प्रारूप शासन द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।

कृपया आदेश के बगारीप शब्दों में निम्न पूँछी निवेदा के नाम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अधीन निर्धारित उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह/-

जे. एस. मिश्र  
सचिव

संख्या : 2711(1)/आठ-1-05-34 विविध/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित लो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त नष्टलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियोगित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त भूमि अध्यापि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ह/-

जे एस. मिश्र  
सचिव

संख्या : 2711(2)/आठ-1-05-34 विविध/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख तथिय, कर एवं नियन्त्रण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख तथिय/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं तथिय, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. महानिरीक्षक, नियन्त्रण एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशास्त्री निदेशक, आवास बन्धु जनपथ, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
9. जमस्ता अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
10. आवास एवं राहरी नियोजन विभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह/-

जे. एस. मिश्र  
सचिव